

न्यायालय-श्रीष कौलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,
जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश

संस्थित दिनांक 06.11.2015

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,
जिला बालाघाट, म०प्र०।

..... अभियोगी

:- विरुद्ध :-मुलाम सिंधुपे पिता मयाराम सिंधुपे आयु 45 वर्ष ,
निवासी-ग्राम बिठली, थाना रूपझर,
जिला बालाघाट म.प्र.

.....अभियुक्त

:: निर्णय ::**(आज दिनांक-05.05.2016 को घोषित किया गया)**

01- आरोपी के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 279, 337 एवं धारा-3/181 मो.व्ही.एक्ट के तहत दंडनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक-06.10.2015 को करीब 5:45 बजे, पुलिस चौकी बिठली, थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम कतियाटोला बिठली लोकमार्ग वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-50/एम.जे-8045 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर, आहत सालिकराम भोंडेकर को चोट पहुंचाकर साधारण उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को बिना वैध लाईसेंस के चलाया।

02- प्रकरण में दिनांक-05.05.2016 को आहत सालिकराम भोंडेकर द्वारा आरोपी से भा.द.सं की धारा-337 के अपराध में राजीनामा कर अपराध का शमन कर लेने से आरोपी को दोष मुक्त किया गया है। भा.द.सं. की धारा 279 एवं धारा-3/181 मो.व्ही.एक्ट शमनीय प्रकृति की नहीं होने से निर्णय किया जा रहा है।

03- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी सालिकराम भोंडेकर ने पुलिस चौकी बिठली, थाना रूपझर में रिपोर्ट लेख कराई कि वह दिनांक-06.10.2015 को करीब 05:45 बजे वह साईकिल लेकर पैदल घर जा रहा था, तो उकवा की तरफ से एक मोटरसाईकिल चालक तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक वाहन को चलाते हुए आया और उसको ठोस मार दिया, जिससे वह गिर गया। ठोस लगने से उसके दाहिने तरफ की पिंडली के उपर चोट लगी थी। मौके पर मोटरसाईकिल चालक गिर गया था, तब उसे देखा तो गांव का मुलाम सिंधुपे है और उसके वाहन का क्रमांक-एम.पी-50/एम.जे-8045 है। फरियादी की

उक्त रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक-160 / 2015, धारा-279, 337 भा.दं.वि. एवं धारा-184 मो.व्ही. एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाकर, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये। विवेचना के दौरान आरोपी द्वारा बिना वैध लायसेंस के वाहन चलाने से उसके विरुद्ध मो.व्ही.एक्ट की धारा-3/181 का ईजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04- न्यायालय द्वारा आरोपी को निर्णय के पैरा क्रमांक-1 में वर्णित अपराध की विशिष्टताएं पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध अस्वीकार किया। अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य से अभिलेख पर कोई तथ्य एवं परिस्थिति नहीं पाये जाने से आरोपी का अभियुक्त परीक्षण अंतर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 नहीं किया गया है।

05- प्रकरण के निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं कि :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-06.10.2015 को करीब 5:45 बजे, पुलिस चौकी बिठली, थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम कतियाटोला बिठली लोकमार्ग वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक-एम.पी-50/एम.जे-8045 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध लाईसेंस के चलाया ?

निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 व 2 का निष्कर्ष

06- इस संबंध में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी सालिकराम भोंडेकर (अ.सा.1) ने अपने कथन में कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। दिनांक-06.10.2015 को जब वह अपने घर की ओर जा रहा था, जब किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी थी, जिससे उसके पैर में चोट आई थी। उसने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस चौकी बिठली में लेख कराई थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके अ से अ भाग पर अंगूठा निशान लगाया था। पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसने अंगूठा निशान लगाया था। साक्षी के पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने स्वीकार किया उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है। साक्षी ने इस बात से इंकार किया

कि उसने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का क्रमांक-एम. पी-50/एम.जे-8045 बताया था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि उसने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में यह लेख कराया था कि उसको टक्कर मारने वाले वाहन तथा चालक को उसने देखा था। साक्षी ने अपने पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 लेख नहीं कराया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 के अ से अ भाग पर अंगूठा लगाया था।

07- प्रकरण में आहत तथा आरोपी के मध्य राजीनामा हो जाने से आरोपी को शमनीय प्रकृति की धारा में पूर्व में ही दोषमुक्त किया जा चुका है। मात्र भा.द.सं. की धारा 279 तथा मो.व्ही.एक्ट की धारा-3/181 के शमनीय न होने से निर्णय किया जा रहा है।

08- प्रकरण में स्वयं फरियादी सालिकराम ने यह कहा है कि दुर्घटना दिनांक को उसे किसी वाहन ने टक्कर मारी थी किन्तु उसने यह नहीं कहा है कि मोटरसाईकिल वाहन क्रमांक-एम.पी-50/एम.जे-8045 के चालक ने उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक से चलाकर उसे टक्कर मारी थी। उपरोक्त समस्त आधारों पर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अंतर्गत अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। यह भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि आरोपी के पास वाहन चलाते समय वैध लायसेंस नहीं था, क्योंकि आरोपी की पहचान और दुर्घटना कारित वाहन के विषय में फरियादी आहत ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता और न ही उसने टक्कर कारित करने वाले वाहन को घटना के समय देखा था। उपरोक्त स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि मोटरसाईकिल वाहन क्रमांक-एम.पी-50/एम.जे-8045 को बिना लायसेंस आरोपी द्वारा दुर्घटना दिनांक को चलाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में आरोपी को धारा-3/181 मो. व्ही.एक्ट के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

09- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा-3/181 का अपराध प्रमाणित न होने से आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा-3/181 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

10- प्रकरण में जप्तशुदा वाहन हीरो डिलक्स क्रमांक एम.पी-50/एम.जे-8045 पूर्व से मुलाम सिन्धुपे पिता मयाराम सिन्धुपे की सुपुर्दगी पर हैं। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में सुपुर्दगीदार के पक्ष में निरस्त माना जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकृत हो।

11— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे ।

12— आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। उक्त के संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार प्रमाण पत्र तैयार किया जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

दिनांक-05.05.2016

(श्रीष कैलाश शुक्ल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ,
बैहर, बालाघाट म०प्र०

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)